प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 23.08.2024

लूट का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट का रूपया बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा लूट के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 438/2024 धारा 309(4),127(2),351(3) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त रंजीत कुमार सिंह उर्फ राजा सिंह को लूट के 640 रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भा0न्या0सं0 की बढोत्तरी की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.08.2024 को अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को गोरखनाथ मन्दिर से कचहरी छोड़ने की बात कहकर अपने कार बैठा लेना व कार में डरा धमकाकर वादी मुकदमा का पर्स व उसमे रखा 8000 हजार रुपये छीन लेना व जान से मारने की धमकी देते हुए एटीएम का पासवर्ड जानकर वादी मुकदमा को कार से हाइवे पर उतार देना तथा बाद में वादी मुकदमे के खाते से 38000 रुपये निकाल लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रंजीत कुमार सिंह उर्फ राजा सिंह पुत्र शिव नरायण सिंह निवासी खटोलवा गरीबा थाना कल्याणपुर जनपद मोतिहारी (बिहार)

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. शत्रुधन साहनी पुत्र सुरेश साहनी सिंह निवासी खटोलवा गरीबा थाना कल्याणपुर जिला मोतिहारी (बिहार)
2. चांद मिया उर्फ अली पुत्र अज्ञात
3. चांद मिया उर्फ अली के दोस्त का नाम व पता अज्ञात

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 438/2024 धारा 309(4),127(2),351(3), 317(2) भा0न्या0सं0 थाना गोरखानाथ

बरामदगी-

लूट के 640 रुपये

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 विवेक सिंह चौकी प्रभारी विकास नगर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. का0 दीपक यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर